रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23052025-263320
CG-DL-W-23052025-263320

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, मई 11—मई 17, 2025, शनिवार/ वैशाख 21—वैशाख 27, 1947
No. 15] NEW DELHI, MAY 11—MAY 17, 2025, SATURDAY/VAISAKHA 21—VAISAKHA 27, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(नेशनल इंटेलीजेन्स ग्रिड)

नई दिल्ली, 14 मई, 2025

सा.का.नि. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2020 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड में उप निदेशक (बी.एम.एस.-डाटा सेंटर), उप निदेशक (संबंध प्रबंधन), उप निदेशक (सोल्यूशन सुरक्षा), उप निदेशक (परियोजना प्रबंधन), सहायक निदेशक (आई.टी. इंफ्रा और सुरक्षा), सहायक निदेशक (बी.एम.एस.-डाटा सेंटर), सहायक निदेशक (बी.एम.एस.-डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर), सहायक निदेशक (सोल्यूशन सुरक्षा) और सहायक निदेशक (सुरक्षा) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

			appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	4. Deputy Director (concerned), in Directorate General of Health Services -Member.	

[F. No. A-12018/01/2020-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

सा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, ऑपरेशन थियेटर विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 को, जहाँ तक उनका संबंध आपरेशन थियेटर तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, में ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन	94 *(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100/- रुपये)।	अचयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए आयु पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड ओर संस्था से विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान के साथ 10+2 उत्तीर्ण; और (ii) सर्जिकल सुविधाओं वाले मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान या विश्वविद्यालय से ऑपरेशन थिएटर कोर्स में डिप्लोमा; या सर्जिकल सुविधाओं वाले मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान या विश्वविद्यालय से ऑपरेशन थिएटर में एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स; और (iii) संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, जो कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में	आयु : लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं होता।

	उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष। (परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम-से-कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा।)	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19900-63200) में ऐसे ऑपरेशन थिएटर सहायक जिन्होंने उस ग्रेड आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो । टिप्पण: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11018/01/2023-एमएच II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 2025

G.S.R. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, Operation Theatre Department (Group 'C') post, 2017, in so far as they relate to the post of Operation Theatre Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Operation Theatre Technician in the Safdarjung Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Safdarjung Hospital, New Delhi, Operation Theatre Technician, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Operation Theatre Technician.	*94 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note-1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection	(i) 12th class pass in Science with Physics, Chemistry and Biology from a recognised Board or institute; and (ii) Diploma in Operation Theatre course from a recognised hospital or institute or university having surgical facilities, or One year certificate course in Operation Theatre from a recognised hospital or institute or university having surgical facilities; and (iii) one year experience in relevant field from a recognised hospital or

					Commission.	institute. **Note-1:** Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note-2:** The qualify-cations regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No. Qualification: No.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory training of at	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: Operation Theatre Assistant in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (i). Additional Medical	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

	least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.		**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Superintendent, Safdarjung Hospital –Chairperson; (ii). Deputy Director (concerned) Directorate General of Health Services -Member; (iii)). Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital – Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital –Chairperson; 2. Deputy Director (concerned) Directorate General of Health Services –Member; 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital – Member.	

[F. No. A-11018/01/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध शव-संलेषक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में शव-संलेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, शव-संलेषक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।